कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हनुमानगढ

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य /साप्र /बी–1/2856 /आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक 13.4.2018 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में चयनित आशार्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने पर इनकी नियुक्ति कनिष्ठ सहायक पद पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में फिक्स रेमूनरेशन पर की जाकर इनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें दिनांक 01.05.2018 तक कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी सिविल याचिका सख्या 1693/17 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओ में पारित आदेश दिनांक कि 3.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 7.7.2017 को घोषित किया जाकर नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थीयों की सूची दिनांक 21.11.17 को जारी की गई में नियुक्तियां आवंटित पदो के सबंध में डी.बी.अपील सख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिह मे पारित आदेश दिनांक 3.11.2017 व अन्य याचिकाओ/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी ।

इन्हें परिवीक्षाकाल में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति उपरान्त राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ–15(1)एफडी/रूलस/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार **पे. मैट्रिक्स लेवल– 5 में वर्णित फिक्स रेमूनरेशन 14600/–रूपये** प्रतिमाह देय होगा तथा परिवीक्षाकाल सन्तोषप्रद पूर्ण करने के उपरान्त नियुक्ति पद के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल–5 में वर्णित वेतन नियमानुसार देय होगा।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट व सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । पूर्व मे राजकीय सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा ।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रंमाक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.6.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र रू0 50/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।
3. राज्य से बाहर की संस्थायों से प्राप्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है ।अतः जिन अभ्यर्थियों की योग्यता राज्य से बाहर की संस्थायों से अर्जित है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थायों से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य होने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है । अतः कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से रू0 50/ के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व मे प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत यह नियुक्ति आदेश निरस्त करने व उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन मे लगी फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र है जिसका आवेदन फार्म पर फोटो चस्पा है ।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटीपूर्ण जाली अथवा कूटरचित पाए जाने की दशा मे उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प.7 (3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबृद्वता निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त की जावे।
7. प्रोबेशन अवधि मे इन्हे स्थिर मानदेय देय होगा । अन्य भत्ते देय नही होगे ।पूर्व मे सेवारत कार्मिक अपने पूर्व पद के वेतन का विकल्प दे सकतें है ।

8. एक कलैण्डर वर्ष मे 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा ।पूर्ण वर्ष न होने की स्थिति मे आनुपातिक गणना करे । अन्य किसी प्रकार के अवकाश देय नही होगे ।प्रसूति व पितृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगें ।

9. स्थिर मानदेय से कटौतियां (राज्य बीमा एवं जीपीएफ)नही होगी ।

10. परीविक्षा काल मे कनिष्ठ सहायक को रू 14600 फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते यथा डी0ए0 /मकान किराया/बोनस/विशेष वेतन आदि देय नही होगें ।

11. .इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क.7(2) डीओपी /ए–11/06 दिनांक 20.1.2006 एवं वित नियम विभाग के नोटिफिकेशन एफ 12(6)एफ डी/रूल्स/06/ दिनांक 13.3.2006 के प्रावधानानुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप मे फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्त किया जाता है।

12. . परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जाएगा ।

13. . फिक्स रेम्युनरेशन से नियमानुसार पेंशन अंशदान की कटौतीर की जावेगी ।

14. संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण किये जाने अथवा न किये जाने की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करेगें।

15. **सबंधित संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता हे कि उक्त अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व इस कार्यालय में उपस्थित होकर आवदेन पत्र एवं प्रमाण पत्रों की जाचॅ कार्यवाही सूनिश्चित करावे नियुक्ति अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों की जाचॅ के सत्यापन उपरान्त ही कार्यग्रहण करावे ।**

16. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक सन्तान नही होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफोर्मा में कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.2.11 एवं दिनांक 20.11.15 की अनुपालना में पूर्ति करावे ।गर्भवती महिला आशार्थी के लिये कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.8.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।

क्र.स	मैरिट कमाक	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	BIRTHDATE	आवेदित वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (रामावि/ राबामावि/ राउमावि/ राबाउमावि)
1	**228**	सुनील कुमार/हेतराम, 24 बिश्नोई बस्ती 6केएसडी,गॉव मालारामपुरा,तह संगरिया जिला हनुमानगढ	**07-10-1982**	BC	GENM	रामावि 11–12केएसडी,संगरिया
2	**4131**	सुभाष चन्द्र वर्मा/पृथ्वीराज वर्मा वार्ड न 20दुलमानी,पीलीबंगा तह पीलीबंगा जिला हनुमानगढ	**08-08-1988**	BC	OBCM	राउमावि जाखडावाली,पीलीबंगा

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक हनुमानगढ

कंमाक–जिशिअ/मा/हनु/मा0/संस्था–ाा/आरपीएससी/2013/पदस्थापन/2017/ 35

दिनांक 16/4/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत–

1. शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार(गुप–3) विभाग सचिवालय जयपुर ।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ।
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
4. श्रीमान उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर मंडल बीकानेर।
5. संबंधित संस्था प्रधान को मूल आवेदन व शपथ पत्रो की पत्रावली सहित।
6. संबंधित आशार्थी ....
7. कार्यालय प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक हनुमानगढ